रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 12.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 2, 1990/आषाढ़ 11, 1912
No. 372] NEW DELHI, MONDAY, JULY 2, 1990/ASADHA 11, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खण्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1990

का. आ. 529 (अ) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मोटर-यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 416 (अ), तारीख 8 जून, 1989 में विनिर्दिष्ट वजन से अधिक भारी वजन को उस किस्म के यानों के लिए जो इस आदेश से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में अनुज्ञात किया जा सकता है।

2 अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त उपधारा (3) के उपबन्ध उक्त किस्म के यानों को इस उपान्तरण के अधीन लागू होंगे कि उन यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यह प्रविष्टि की जाए कि सकल यान भार और ऐसे यानों की धुरियों में से किसी का रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट वजन से अधिक नहीं है।

सारणी

यानों की किस्म	प्रचालन का परिक्षेत्र	समग्र विमाएं	रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन
1	2	3	4
अर्ध निम्न तल गूज नेक, 16 पहिए वाली, टनटन पश्च धुरी अनस्यंग अर्ध ट्रेलर स्वामी-मैसर्स डोडसल लिमिटेड पैन जिला रायगढ़	मुम्बई-थाणे पानवल-उरन बसाई-पैद	समग्र लम्बाई 16600 मि. मी. समग्र चौड़ाई 3200 मि. मी. समग्र ऊंचाई 1900 मि. मी.	प्रथम धुरी वजन (ट्रैक्टर) 5000 किलोग्राम द्वितीय धुरी वजन (ट्रैक्टर) 9111.21 किलोग्राम तृतीय धुरी वजन (ट्रैक्टर) 9111.21 किलोग्राम

(1)	(2)	(3)
मुख्य नतिक	नागोथने-अलीबाग	चतुर्थ धुरी वजन (ट्रेलर) 14013.79 किलोग्राम
चैसिस सं. :		
ए जैड एच के 13870 इंजन सं -ए जैड एच के 0418		पंचम धुरी वजन (ट्रेलर) 14013 किलोग्राम
ट्रेलर		
चैसिस सं.—सी-30 टी-205 ए एस		सकल लदान—51250 कि.ग्रा. आय भार —30000 कि. ग्रा.

3. महाराष्ट्र राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में वृहत्तर मुम्बई/थाणे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर यानों के बारे में उच्चतर वजन सीमाएं नियत करने और यानों के प्रचालन के लिए उपरोक्त शिथिलीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(i) सड़कों पर लोक निर्माण विभाग (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुबद्ध भार संबंधी निर्बन्धनों का पालन किया जाएगा और यान को विभिन्न सड़कों पर लाने से पूर्व ऐसे प्राधिकारियों की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाएगी।

(ii) लदे हुए यान को सड़क नेटवर्क पर सड़क संरचनाओं (पुल और अन्य आर पार निकासी संरचना) के अनुसार गुजरने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उस यान की भार होने की क्षमता राज्य सरकार द्वारा अभिनिश्चित और सुरक्षित घोषित नहीं कर दी जाती तथा परिवाहकों को नदियों/नालों को तल स्तरीय मोड़ों आदि द्वारा पार करने का इन्तजाम, जैसा लोक निर्माण विभाग द्वारा निदेश दिया जाए, स्वयं करना होगा।

(iii) इन भारी यानों के संचलन के कारण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सड़क और सड़क संरचना को हुआ कोई नुकसान राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारण के अनुसार परिवाहकों द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जाएगा।

(iv) इन भारी यानों के प्रत्येक संचलन की बाबत राज्य लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों के संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को अग्रिम सूचना दी जाएगी।

(v) राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग किसी ऐसी नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो परिवहन के दौरान यान अथवा उसकी अन्तर्वस्तु के उक्त मिश्रण के परिणामस्वरूप हो।

(vi) यानों की इस अनुज्ञा का दिया जाना राज्य लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों के स्थानीय अधिकारियों की स्थिति की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए और सड़क तथा सड़क संरचनाओं की दशा को ध्यान में रखते हुए इन यानों के संचलन को विनियमित करने से निवारित नहीं करेगा।

(vii) अब दी गई अनुज्ञा लोक निर्माण विभाग की अधिकारिता के भीतर आने वाली सड़कों के भागों को ही लागू होगी और मार्ग में स्थानीय निकायों तथा अन्य विभागों में निहित सड़कों और सड़क संरचना के ऊपर अपने यान चलाने के लिए अनुज्ञा कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से अभिप्राप्त की जानी होगी।

(viii) उक्त यान यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना कोई बाधा डाले चलाए जाएंगे।

(ix) यदि यान का उपयोग महाराष्ट्र राज्य के बाहर किया जाएगा तो ऐसा प्रचालन सम्बद्ध राज्य लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों के पूर्व अनुमोदन से होगा और वह उन शर्तों के भी अधीन होगा, जो राज्य सरकार स्थानीय निकाय संरचनाओं, सड़कों, पुलों, पुलियों की सुरक्षा और सड़क का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे और प्रचालक राज्य लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों और पुलिस प्राधिकारियों को ऐसे प्रत्येक प्रचालन की सम्यक् रूप से सूचना देगा।

[सं. आर. टी.-11042/22/89-टीएजी]

वी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 2nd July, 1990

ORDER

S.O. 529 (E) :—Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weights than those specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 416 (E), dated the 8th June, 1989, issued under sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), may be permitted for vehicles of the type specified in column (1) of the Table annexed to this Order in the locality specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

2. Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 58 of the said Act, the Central Government hereby directs that the provisons of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicles, subject to the modification that in the certificate of registration of such vehicles there may be entered that gross vehicleweight and the registered axle weight of any of the axles of such vehicles not exceeding the weight specified in column (4) respectively of the said Table.

TABLE

Type of vehicles	Locality of operation	Over all Diamensions	Registered axle weight
1	2	3	4
Semi low bed goose neck 16 Wheeler, Tandem rear axle unsprung Semi-trailer owned by-M/S Dodsol Ltd, Pers, Distt. Raigad. PRIME MOVER Chassis No : AZHK 13870 Engine No : AZHK 0418 TRAILER Chassis No : C-30T-205 AS	Bombay Thane Panvel-Uran vasaipen Nagothane Alibag	Overall length-16600mm Overall width 3200 Overall height 1900 mm.	First axle wt. (tractor) 5000 Kg. Second axle wt. (Tractor) 9111.21kg Third axle wt. (Tractor) 9111.21 kg. Fourth axle wt. (Trailer) 14013.79 kg Fifth axle wt. (Trailer) 14013kg. G.L.W.-51250kg. Pay load-30000kg.

3. The above relaxation for the purpose of assigning higher weight limits in respect of the vehicles and the operation of the vehicle within the limits of Greater Bombay/ Thana area in the State of Maharashtra as per the recommendation of the State Government of Maharashtra is subject to the following conditions: —

(i) load restrictions on various roads stipulated by the public Works Department/ Local Authorities will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicle is put on the roads.

(ii) the loaded vehicle will not be allowed to pass over the road structures (bridges and other cross drainage structure) on the road network untill and unless the load carrying capacity of the same is ascertained and declared safe by the State Government and the transporters will have to make their own arrangements to cross the rivers/ nallas through bed level diversions etc. as directed by the Public Works Department.

(iii) Any damage to the road and road structure either directly or indirectly due to the movement of these heavy vehicles shall be borne wholly by the transporters as per the assessment by the State P.W.D.

(iv) Advance intimation shall be given to the concerned Executive Engineer of the State PWD/ Local Bodies regarding each movement of these heavy vehicles.

(v) The state Govt./ P.W.D. shall not be responsible for any damages that may be sustained either by the said combination of vehicle or their contents consequent during the transit.

(vi) The grant of this permission of vehicles does not prevent the local Officers of the State PWD/Local Bodies from regulating or stopping the movement of these vehicle upon the exigencies of the situation and having regard to the condition of the road and road structures.

(vii) The permission granted now shall apply only to the portions of the roads lying within the jurisdictions of the Public Works Department and permission for plying their vehicles over roads and road structure vested with the local bodies and other departments in the route, if any, has to be obtained by the Company from the concerned authorities.

(viii) The said vehicles shall be moved without any hincrance to the normal flow of traffic.

(ix) If the vhicle is to be used outside the State of Maharashtra such an operation will be with the prior approval of the Concerned State PWD/ Local Bodies and will also be subject to such conditions as the state Government/ Local Bodies may specify for the safety of structures, roads, bridges, culverts and with due regard to safety of all road users, for which the State PWD/ Local Bodies and the Police Authorites will be kept duly informed by the operator, every time the operations are efiected.

[No. RT-11042/22/89-TAG]
B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.